न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

उनवान:- सुरेश कुमार बनाम छिन्तर मल वगैरह

तारीख हुक्म	मु०नं. 02/2018 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
23/05/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन ~~एम./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे~~ /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.06.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
07/06/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार कार्यक्रम, 2018 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र, आभावास में पेश हुई। वकील ~~वादी~~ श्री बसन्त कुमार वर्मा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने दस्तावेजों की सूची के संलग्न कुल किता 07 दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा मजमे आम में पूछताछ कर फर्द मौका रिपोर्ट बनवाई गई। चूंकि वादी के राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम "सुरेश कुमार पुत्र जीवणराम" दर्ज है तथा मजमे आम में की गई पूछताछ के आधार पर भी वादी का नाम "सुरेश कुमार पुत्र जीवणराम" होना पाया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि :- **आदेश** तन ग्राम भगतसिंहनगर पो.हो. आभावास	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 1738 रकबा 1.80 है0 में हिस्सा 1/15 में वादी का नाम "श्रीराम पुत्र जीवणराम" के स्थान पर "सुरेश कुमार पुत्र जीवणराम" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। 7/6/17 भागीरथ शाख (RAS) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला,(सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:– श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान
(1) सुरेशकुमार आदि बनाम (1) दीताराम आदि

दावा बाबत घोषणा
मुकदमा नम्बर :– 02/2018
निर्णय दिनांक :– 07/06/18
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी — मिनजानिब मुददई रूबरू श्री भजनाराम मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

तन ग्राम भगतसिंह नगर म.ह. आभावास तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1738 रकबा 1.80 हे. में हिस्सा 1/15 में वादी का नाम "श्रीराम पुत्र जीवणराम" के स्थान पर "सुरेश कुमार पुत्र जीवणराम" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 07/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर))

(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

※ पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

— वादी

बनाम

※ पुत्र जीवणराम

2. बीरबल पुत्र जीवणराम

3. सागरमल पुत्र जीवणराम

समस्त जाति जाट निवासी आभावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

— प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)

7/6/18

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner